न्यायालय: - द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.) श्रृंखाला न्यायालय बैहर

(पीठासीन अधिकारी– माखनलाल झोड़)

Filling No. MCA/38/2017 CNR-MP500/50000982017 Case No. MCA/01/2017 संस्थित दिनांक—14-12-2016

- 1- श्रीमती गोमतीबाई पति बिसाहुदास 55 वर्ष
- 2— चुडामणी पिता बिसाहुदास उम्र 32 वर्ष
- 3- शिरोमणी पिता बिसाहुदास उम्र 30 वर्ष
- 4— भुपेन्द्र पिता बिसाहुदास उम्र 28 वर्ष
- 5— ममता पति गौरव (पिता बिसाहुदास) उम्र 26 वर्ष सभी जाति पनिका निवासी—ग्राम साखा तहसील बिरसा

जिला बालाघाट (म.प्र.) — — —— अ**पीलार्थी गण**

−// <u>विरुद्ध</u>्ये//−

- 1— बिसाहुदास पिता रामदास उम्र 64 वर्ष
- 2- बसंताबाई पति बिसाह्दास उम्र 60 वर्ष
- 3— भगवंतदास पिता बिसाहदास उम्र 40 वर्ष
- 4— संतोष कुमार पिता बिसाहुदास उम्र 33 वर्ष
- 5— श्रीमती इंदिराबाई पित बिसाहुदास उम्र 45 वर्ष सभी जाति पिनका निवासी ग्राम साखा तहसील बिरसा
- 3— म0प्र0 शासन तर्फे :—कलेक्टर महोदय बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — <u>उत्तरवादीगण</u>

{न्यायालयः द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, बैहर श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, द्वारा व्य, वाद क. 63ए—/2016 श्रीमती गोमतीबाई वगैरह वि. बिसाहुदास वगैरह में पारित आदेश दिनांक 15.11.2016 से क्षुब्ध होकर यह अपील पेश की है

उत्तरवादी कमांक 6 अनुपरिथत।

-/// <u>आदेश</u> ///-(<u>आज दिनांक 12 जनवरी 2018 को घोषित</u>)

- 1. अपीलार्थीगण यह विविध अपील न्यायालय—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर पीठासीन अधिकारी श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, द्वारा व्यवहार वाद कमांक 63ए/2016 श्रीमती गोमतीबाई वगैरह विरूद्ध बिसाहुदास वगैरह में आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. जिसका अंतरवर्ती आवेदन कमांक 1 है, के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दिनांक 15.11.2016 को आदेश पारित कर, आवेदन अस्वीकार कर निरस्त किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।
- 2. पक्षकारों के मध्य स्वीकृत तथ्य यह है कि उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य है। मौजा साखा, प.ह.न. 44, रा.नि.मं. तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित ख.क. 3/6 रकबा 2.360 हेक्टेयर एवं ख.क. 44/52 रकबा 0.138 हेक्टेयर भूमि स्थित है जो विवादित भूमि है। यह भूमि आवेदकगण, अना.क. 1 से 5 की पैतृक खानदानी भूमि है। मूल पुरूष रामदास के फौत होने के बाद वारसाना हक में अना.क. 1 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर चला आ रहा है।
- 3. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. जिसका अंतरवर्ती आवेदन क्रमांक 1 है, का सार यह है कि उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य है। ग्राम साखा, प.ह.न. 44, रा.नि.मं. तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित भूमि ख.क. 3/6 एवं 44/52 को अफरा—तफरी करने के आशय से अना.क. 2 से 5 के बीच भूमि का विभाजन कर नाम दर्ज करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है वह आवेदकगण का हक समाप्त करना चाहता है। उक्त संपत्ति पैतृक है। अना.क. 1 की 3 पत्नियां है। प्रथम पत्नि बसंता से 2 संतान भगवंतदास और संतोष कुमार है, द्वितीय पत्नि गोमतीबाई से 4 संताने क्रमशः चूड़ामणी, शिरोमणी, भूपेन्द्र और ममता है, तृतीय पत्नि इंदिरा निःसंतान है।
- 4. दिनांक 27.06.2016 को आवेदगण इस भूखंड पर कास्त कर उपयोग करते चले आ रहे थे, पर कास्त करने से मना कर लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारने पीटने की धमकी देने लगे। अना.क. 1 ने कहा कि वह

हिस्सा बंटवारा नहीं देता है। अना.क. 1 से 5 द्वारा कभी भी अप्रिय घटना कारित की जा सकती है। अनावेदगणों के समान ही आवेदकगणों का हक, हिस्सा है। अनावेदकगण के द्वारा बंटवारे का आवेदन पेश किए जाने पर आवेदकगण ने आपत्ति पेश की, आपत्ति का निराकरण होना शेष है। बंटवारा कार्यवाही रोके जाने हेतु आदेशित किया जाना आवश्यक है। अना.क. 1 द्वारा वाद भूमि को विक्रय करने हेतु ग्राहकों को भूमि वह दिखा रहा है, कभी भी विक्रय कर सकता है। आवेदकगण संयुक्त कब्जे में है। भरणपोषण का एकमात्र साधन है। मौखिक विभाजन के आधार पर आवेदकगण कब्जे में है। उपभोग करते चले आ रहे है। आवेदन स्वीकार कर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने की याचना की है कि वाद के अंतिम निराकरण तक उक्त दोनों वादग्रस्त भूखंडों का बंटवारा कराकर अन्य व्यक्ति को भूमि विक्रय करने से रोका जावे।

- 5. प्रस्तुत उत्तर दिनांक 0911.16 का सार यह है कि वादग्रस्त संपत्ति पैतृक है। अनावेदकगण ने वादभूमि का विभाजन कर नाम दर्ज करने आवेदन पत्र पेश किया है जिसे अफरा तफरी करने से आवेदकगण रोकना चाहते है इंकार किया है। यह इंकार किया है कि वादीगण पारिवारिक व्यवस्था अनुसार करीब 3 एकड भूमि पर कास्त कर उपयोग कर रहे है। नापजोक कर पटवारी से बंटवारा नहीं कराया गया है। अना.क. 1 की 3 पत्नियां है। आवेदन के आधार मिथ्या होने से, अवैधानिक होने से अस्वीकार किया जाना लेख किया है। विशिष्ट कथन कर लेख किया है कि उभयपक्ष पनिका जाति के होने से हिंदू रीति लागू होती है। वे बनारस स्कूल से शासित होते है। आवेदक कमांक 1 गोमतीबाई, अना.क. 2 से 5 के जन्म होने के 5 वर्ष बाद तक अना. क. 1 के साथ सुखपूर्वक रही। अना.क. 1 ने अपने मकान में पृथक से एक कमरा आवेदकगण को रहने दिया था। आवेदक कमांक 2 से 5 के विवाह अना.क. 1 ने ही संपन्न कराएं है।
- 6. आवेदकगण अना.क. 1 से माह मई में बंटवारा की मांग करने लगे तब अना.क. 1 ने समझाया कि जमीन उसके नाम से वह सभी का पालन पोषण कर रहा है, भूमि का बंटवारा नहीं करेगा। अना.क. 2 से 5 का कोई अधिकार नहीं है। आवेदक क्रमांक 1, अना.क. 1 से जिद करने लगी तब अना. क. 1 ने धारा 178ए म.प्र. भू राजस्व संहिता के अधीन तहसीलदार बिरसा के

न्यायालय में आकर पेश किया। आवेदकगण और अना.क. 2 से 5 की उपस्थिति के संमस जारी किये है, किंतु आवेदकगण उपस्थित नहीं हुए है तब अना.क. 1 ने आवेदन निरस्त करा लिया। आवेदकगण और अना.क. 2 से 5 अना.क. 1 को कोई सहायता नहीं करते है वह 65 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है इसलिए अना.क. 1 ने 1 एकड़ भूमि 1,50,000/—रूपए में संतोष कुमार को विक्रय कर पंजीयन कराकर कब्जा दे दिया है। उक्त राशि से स्वयं का ईलाज करा रहा है। मिथ्या आधार पर आवेदन पत्र पेश किया है, आवेदन पत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

- 7. प्रस्तुत विविध अपील के आधार का सार यह है कि निम्न न्यायालय ने अपीलार्थीगण के वंशवृक्ष को अनदेखा कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया हैं, ख.क. 3/6 रकबा 2.360, ख.क. 44/52 रकबा 0.138 हेक्टे. में से 1/2 भाग को अपीलार्थी कमांक 1 के विवाह के समय उत्तरवादी क. 1 द्वारा शादी के एवज में दिया गया था, सभी समाज पंचो एवं अपीलार्थी कमांक 1 के समक्ष घोषणा कर 1/2 भाग जीवन पर्यन्त अपीलार्थी क. 1 को मालिकी व कब्जा दिया था, अपीलार्थीगण करीब 33 वर्ष पूर्व से उक्त भूमि के 1/2 भाग पर मालिक काबिज रहे हैं, उत्तरवादी क. 1 द्वारा शर्तों के तहत अपीलार्थी कमांक 1 से विवाह किया था, उत्तरवादी क. 1 से विवाह पूर्व दो पत्नियां हो चुकी थी, अपीलार्थी क. 1 द्वारा संविदा के तहत विवाह किया था जिससे अपीलार्थी क. 2 से 5 तक उत्पन्न हुए जिनका उक्त भूमि पर लगातार मालिकी व कब्जा चला आ रहा है, जिसे अनदेखा कर त्रुटि की है।
- 8. निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज, शपथ पत्र का अध्ययन न कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है, साम्य एवं न्याय की दृष्टि, विधि—सिद्धांतों के विपरीत आदेश पारित कर त्रुटि की है, अपील स्वीकार कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.20116 निरस्त किए जाने की याचना की गई है।
- 9. अपील के निराकरण हेतुं अधोलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं :—

क.	विचारणीय प्रश्न
1.	\lambda क्या विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क.
	63ए/2016 श्रीमती गोमतीबाई वगैरह विरूद्ध बिसाहुदास वगैरह

में पारित आदेश दिनांक 15.11.2016 में अशुद्धता, तथ्य की त्रुटि एवं विधि की त्रुटि होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-

- 10. उभयपक्षों द्वारा किए गए विस्तृत तर्को को विचार में लिया गया।
- 11. वस्तुतः आई.ए.नंबर 1 में लेख ईबारत और उसके उत्तर में स्वीकृत तथ्य के अनुसार आवेदिका क्रमांक 1 अनावेदक क्रमांक 1 की द्वितीय पिल है तथा आवेदक क्रमांक 2 से 5 द्वितीय पिल से उत्पन्न संताने है। हिन्दु विधि के अनुसार द्वितीय पिल को विधि के अधीन प्रथम पिल के जीवनकाल में कोई विधिक अस्तित्व प्राप्त नहीं होता है। इस विधिक स्थिति के आधार पर आवेदकगण को वाद पेश करने के साथ—साथ अंतिरम सहायता प्राप्त करने का अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध विधिक अधिकार नहीं है। आवेदन पत्र आई.ए.नंबर अन्य लेख आधारों पर अस्वीकार कर प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 15. 11.2016 में कोई तथ्य की, विधि की त्रुटि नहीं की है, प्रक्रिया की त्रुटि नहीं की है, इसलिए हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
- 12. परिणामतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।
- 13. अादेश की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही / –

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर. सही / – (माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर.